इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 77 / प्र0अ0(भवन) / जोन–2 / 2013–14 दिनांक 16 / 01 / 2017

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **व्यवसायिक काम्पलेक्स / छवि–गृह का मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शशिकान्त दुग्गल, श्री बृजेश दुग्गल, श्री सुनील दुग्गल एवं श्री पुनीत दुग्गल पुत्रगण स्व0 विश्वामित्र दुग्गल द्वारा मकान नं0–119 बाई का बाग इलाहाबाद जोन संख्या **(2)** के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित **व्यवसायिक काम्पलेक्स / छवि–गृह मानचित्र** की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 10.01.2017 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 50 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको के आधार पर ही किया जाय। भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदकगण का होगा।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. सोलर वाटर हीटींग संयत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
8. **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्रांक : 2016 / 17392 / Alld/Allahabad/160/CFO दिनांक 18.01.2016 में अंकित प्रतिबन्धो का पालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
9. नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी। नगर निगम द्वारा मानचित्र स्वीकृति विषयक जो भी वित्तीय देयता / प्रतिबन्ध आरोपित किये जायेंगे उसका अक्षरशः भुगतान / अनुपालन करना होगा।
10. मुख्य अभियन्ता–विद्युत की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।
11. मेकेनिकल पार्किंग का संचालन प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा किया जाय।
12. बेसमेन्ट में बरसाती पानी की जल निकासी फ्लोट पम्प के द्वारा किया जाय।

–2